



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना

उद्देश्य

- राज्य में बजट सत्र 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को Smart Phone मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु “मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना” की घोषणा की गयी थी।
- “मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना” के प्रथम चरण (2023-24) में बहन - बेटियों के पावन पर्व 'राखी' से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालय/आईटीआई/पॉलिटेक्निक) में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजनान्तर्गत यह स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी थी।

लाभार्थी की पात्रता

राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में लगभग 40 लाख लाभार्थी को Smart Phone मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाये जायेंगे

क्र. सं.	विभाग	श्रेणी
1.	सामाजिक न्याय एवं	विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर्ता
2.	स्कूल शिक्षा	9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं
3.	कॉलेज शिक्षा	महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं
4.	ग्रामीण विकास विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 कार्य दिवस वाले परिवार की महिला मुखिया (वर्ष 2022-2023)
5.	संस्कृत शिक्षा	महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं
6.	स्वायत्त शासन विभाग	इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस 2023) पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
7.	IT/तकनीकी शिक्षा	महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं
8.	पालीटेक्निक शिक्षा	महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं
कुल योग		

- जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है उनके साथ परिवार के जन आधार मुखिया का आधार कार्ड एवं स्वयं जन आधार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी स्वयं की पात्रता से सम्बंधित शिकायत हेतु 181 पर कॉल कर, शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- लाभार्थी की सूची जिले वॉर, ब्लॉक वॉर, ग्राम पंचायत वॉर, वार्ड वॉर DoIT&C द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Milestones)

S No.	Activity	Timelines
1.	चारों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) को आमंत्रित करना	25-July-2023
2.	जिला प्रशासन को शिविर संबंधी दिशा निर्देश भेजना	25-July-2023
3.	लाभार्थी की सूची DoIT&C द्वारा उपलब्ध करवाना	28-July-2023
4.	शिविर स्थलों की पहचान, MDSY योजना के क्रियान्वयन हेतु software का प्रशिक्षण	30-July-2023
5.	TSP द्वारा अधिकृत डीलर्स का चयन करना	01-Aug-2023
6.	जिला प्रशासन द्वारा शिविरों के आयोजन हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करना	05-Aug-2023
7.	DBT के माध्यम से मोबाइल व सिम वितरण प्रारम्भ करने की संभावित तारीख	07-Aug-2023

MDSY (Mukyamantri Digital Sewa Yojna)

INDICATIVE CAMP AREA

Zone-1

Helpdesk for Document Check Area

- Janaadhar registered mobile number.
- Hardcopy of Janaadhar, Aadhar card and PAN card
- Download Janaadhar E-wallet app *
- Photo
- And other related documents

Zone-2

Pre-registration counters and eligibility check

- Provide hard copy of Janaadhar E-wallet form, Form-60 and TSP Form.
- Check Eligibility of beneficiary in MDSY platform by DoIT&C official.



Zone-3

SIM selection and sales counter

- E/D KYC for Sim allocation by TSP
- Allocation of mobile number with active SIM

Zone-4

Phone Selection and Sales Counter



Dealer's DESKS



Dealer's DESKS

Zone-5

DBT Zone

1. Capture details of handset and SIM in MDSY platform
2. DBT through E-wallet and payment released.
3. Documentation regarding e-wallet KYC will be validated, scanned and stored by DoIT&C official.
4. Payment to the Service Provider through E-wallet for the handset and Data SIM



Zone-6

Digital Handholding Area

Various digital literacy activities for IEC and awareness



ENTRY

EXIT



* For beneficiaries not having Smart Phones, digital facilitation to complete above process will be done through TABLETS at Helpdesk

corridor

corridor

मोबाइल मय सिम की प्रक्रिया : ज़ोन - 1

Zone-1

Helpdesk for Document Check Area

- Janaadhar registered mobile number.
- Hardcopy of Janaadhar, Aadhar card and PAN card
- Download Janaadhar E-wallet app *
- Photo
- And other related documents

□ ज़ोन - 1

- हेल्प डेस्क टीम द्वारा लाभार्थी के जन आधार कार्ड, जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पहचान, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य e-KYC के लिये मान्य दस्तावेज़ों की पहचान की जायेगी
- लाभार्थी के फ़ोन में जन आधार e-Wallet app डाउनलोड कर अन्य जानकारी देना।

मोबाइल मय सिम की प्रक्रिया : ज़ोन - 2

Zone-2

Pre-registration counters and eligibility check

- Provide hard copy of Janaadhar E-wallet form, Form-60 and TSP Form.
- Check Eligibility of beneficiary in MDSY platform by DoIT&C official.

□ ज़ोन - 2

- MDSY प्लेटफॉर्म द्वारा DoIT&C अधिकारी ज़ोन 2 में हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहकर लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर जन आधार e-wallet KYC फॉर्म, TSP फॉर्म एवं फॉर्म-60 उपलब्ध करवायेंगे।

मोबाइल मय सिम की प्रक्रिया : ज़ोन - 3

Zone-3

SIM selection and sales counter


- E/D KYC for Sim allocation by TSP
- Allocation of mobile number with active SIM

□ ज़ोन - 3

- विभिन्न Telecom Service Provider के लिये है, जिसमें लाभार्थी द्वारा e-KYC के पश्चात अपनी पसंद की सिम एवं इंटरनेट डाटा प्लान दिया जायेगा।

मोबाइल मय सिम की प्रक्रिया : ज़ोन - 4

Zone-4



□ ज़ोन - 4

- लाभार्थी ज़ोन-4 में अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का मोबाइल फोन क्रय कर सकेंगे। लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है

मोबाइल मय सिम की प्रक्रिया : ज़ोन - 5

Zone-5

DBT Zone

1. Capture details of handset and SIM in MDSY platform
2. DBT through E-wallet and payment released.
3. Documentation regarding e-wallet KYC will be validated, scanned and stored by DoIT&C official.
4. Payment to the Service Provider through E-wallet for the handset and Data SIM

□ ज़ोन - 5

DoIT&C अधिकारीयों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया:

- लाभार्थी के e-Wallet KYC की प्रक्रिया करना
- लाभार्थी द्वारा चुने गये मोबाइल एवं सिम की जानकारी MDSY प्लेटफॉर्म में एंट्री करना
- e-Wallet के माध्यम से लाभार्थी को DBT करना
- लाभार्थी द्वारा मोबाइल एवं डाटा सिम के लिए e-Wallet से भुगतान
- DoIT&C अधिकारी लाभार्थियों के समस्त दस्तावेज़ दिनांक वॉर एकत्रित कर प्रतिदिन शिविर की समाप्ति के पश्चात, बंडल जिला प्रशासन को सुपुर्द करेंगे

मोबाइल मय सिम की प्रक्रिया : ज़ोन - 6

□ ज़ोन - 6

Zone-6

Digital Handholding Area

Various digital literacy activities for IEC and awareness

- लाभार्थियों के लिये डिजिटल साक्षरता हेतु निम्न डिजिटल एक्टिविटी, प्रश्नोत्तरी प्रसंग एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा :
 - लाभार्थियों से इंटरैक्शन कर उनके मोबाइल में राज्य सरकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करना
 - ✓ Jan Aadhaar Wallet 2.0
 - ✓ Jan Aadhaar App
 - ✓ E-Mitra App
 - ✓ Raj Sampark App
 - ✓ Jan Soochna App
 - नुक्कड़ नाटक द्वारा राज्य सरकार की जन हितोपकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना
 - प्रोत्साहन हेतु विजेताओं को टोकन पुरस्कार दिया जाना
- लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता हेतु “डिजिटल सखी बुकलेट” का वितरण किया जाना
- यह कार्य राजीव गाँधी युवा मित्र, स्टार्ट - अप तथा DoIT&C प्रतिनिधि के माध्यम से किया जायेगा

MDSY (Mukyamantri Digital Sewa Yojna)

INDICATIVE CAMP AREA

Zone-1

Helpdesk for Document Check Area

- Janaadhar registered mobile number.
- Hardcopy of Janaadhar, Aadhar card and PAN card
- Download Janaadhar E-wallet app *
- Photo
- And other related documents

Zone-2

Pre-registration counters and eligibility check

- Provide hard copy of Janaadhar E-wallet form, Form-60 and TSP Form.
- Check Eligibility of beneficiary in MDSY platform by DoIT&C official.



Zone-3

SIM selection and sales counter

- E/D KYC for Sim allocation by TSP
- Allocation of mobile number with active SIM

Zone-4

Phone Selection and Sales Counter



Dealer's DESKS



Dealer's DESKS



Zone-5

DBT Zone

1. Capture details of handset and SIM in MDSY platform
2. DBT through E-wallet and payment released.
3. Documentation regarding e-wallet KYC will be validated, scanned and stored by DoIT&C official.
4. Payment to the Service Provider through E-wallet for the handset and Data SIM



Zone-6

Digital Handholding Area

Various digital literacy activities for IEC and awareness



ENTRY

EXIT



EXIT



* For beneficiaries not having Smart Phones, digital facilitation to complete above process will be done through TABLETS at Helpdesk

corridor

corridor

जिला वॉर शिविर योजना

कुल 434 शिविर*



(*शिविरों की सूची संलग्न)

सामान्य जानकारी

- शिविरों का समय:
 - शिविरों का समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक रहेगा
 - शिविर प्रति सप्ताह 6 दिन (सोमवार से शनिवार तक) आयोजित होंगे।
- e-वॉलेट:
 - सभी लाभार्थियों को जन आधार e-वॉलेट डाउनलोड करना होगा
 - e-वॉलेट के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को DBT की जाएगी
 - DBT से लाभार्थी को 6800 रुपए (6125 रुपए स्मार्ट फोन एवं 675 रुपए 9 माह के इंटरनेट डाटा) दिये जाएंगे
 - लाभार्थी DBT से ऊपर की राशि का भुगतान कर अधिक राशि का स्मार्ट फोन क्रय के लिये स्वतंत्र है
 - चालू वित्तीय वर्ष में केवल 9 माह शेष हैं इसलिए डाटा 31 मार्च 2024 (9 माह) तक का होगा
 - आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से मोबाइल सिम चालू होने की दशा में अगले दो वर्षों के लिए 900 रुपए प्रति वर्ष DBT द्वारा राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
 - लाभार्थी को उचित दर पर Smart Phone मय सिम उपलब्ध कराने हेतु TRAI से अधिकृत (Jio, Airtel, Vodafone, BSNL) कम्पनी से ही लाभार्थी को सिम डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी

भूमिका- DoIT&C

- लाभार्थी की सूची जिले वॉर, ब्लॉक वॉर, ग्राम पंचायत वॉर, वार्ड वॉर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- MDSY परियोजना के सुचारु एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा MDSY portal विकसित किया गया है। (User Manual विभाग द्वारा साझा किया जायेगा)
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शिविरों के सफल संचालन एवं समन्वय के लिये एक स्टेट लेवल कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- जिले द्वारा किये जाने वाली निविदा का प्रारूप विभाग द्वारा साझा किया जायेगा।
- निविदा के अंतर्गत होने वाले व्यय का आवंटन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को किया जायेगा। (बजट आवंटन सूची)

भूमिका- जिला कलक्टर

- MDSY के शिविर अगस्त के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होंगे
- जिला कलक्टरों द्वारा निर्णय लेकर अपने-अपने जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक पर 1 शिविर तथा शहरी क्षेत्र में 2 से 6 स्थान चयनित कर कैलेंडर बनाकर शिविर लगाये जायेंगे
- जिले में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना
- प्रत्येक MDSY शिविर के लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति
- MDSY शिविर के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति
- प्रत्येक शिविर में 8-10 राजकीय अधिकारी/कर्मचारी व 1 या 2 राजीव गांधी युवामित्र की ड्यूटी लगायी जावे

भूमिका- जिला कलक्टर

- जिला स्तरीय समग्र समन्वयन, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्विति
- MDSY शिविर हेतु – Model Design के आधार पर जिलेवार टेण्डर (Canopy, Furniture, Laptops, Computer Systems, Scanner, Stationery, Additional Manpower, Screen etc.)
- जिला स्तर के माध्यम से TRAI द्वारा अधिकृत (Jio, Airtel, Vodafone, BSNL) कम्पनी के साथ-साथ Smart Phone के Manufacturer, Dealer, Distributer से समन्वय कर शिविरों में उपस्थिति सुनिश्चित करे
- MDSY के शिविर जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका, राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य राजकीय कार्यालयों आदि स्थानों पर लगेंगे
- शिविरों के आयोजन की समय सीमा देखते हुए RTTP Rules, 2013 के नियम 43 के अंतर्गत जिला स्तर पर short term Tender के माध्यम से Agency का चयन किया जाये

भूमिका- जिला कलक्टर

- शिविर हेतु ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिए जहां समीपवर्ती गलियारे के साथ कम से कम 5 कमरे उपलब्ध हों, यह आवश्यक है कि प्रत्येक कमरे में प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग हों
- जिला प्रशासन द्वारा शिविरों का आयोजन - लाभार्थी की संख्या, वर्षा ऋतु, मोबाइल सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था आदि को ध्यान में रखकर किया जाये
- प्रत्येक शिविर में जिला प्रशासन द्वारा निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये
- MDSY शिविरों के सफल संचालन एवं समन्वय के लिये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जावे। इस कन्ट्रोल रूम से सम्बंधित समस्त जानकारी यथा प्रभारी अधिकारी का नाम, पद एवं टेलिफोन नम्बर आदि DoIT&C व अन्य सम्बंधित विभागो को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे
- शिविरों की समाप्ति के पश्चात जिला प्रशासन लाभार्थियों के समस्त दस्तावेज़ DoIT&C मुख्यालय को हैंड ओवर करेंगे

भूमिका – DIPR

- विभिन्न माध्यमों से उक्त कार्यक्रमों का राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार
- जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर स्थानीय कैलेण्डर व स्थानों का प्रचार-प्रसार
- शिविरों का Media Coverage, Success Stories का प्रचार-प्रसार एवं Social Media प्रबंधन आदि

धन्यवाद